

किसान बनकर पहुंचे उपजिलाधिकारी ने खाद की दुकान पर कालाबाज़ारी देख दो खाद की दुकान किया सील

महाराजगंज। नौतनवा बीते सोमवार की देर शाम नेपाल को हो रही खाद तस्करी की सूचना पर पहुंचे एसडीएम नौतनवा प्रमोद कुमार ने थाना परसामिलक क्षेत्र के जिगिना में स्थित खाद की दो दुकानों को किया सील, एक चाय की दुकान पर घटों बैठकर देखते रहे दुकानदार का कानामा इस दौरान दुकानदार का कानामा इस दौरान दुकानदार का नौ 16 बोरी यूरिया बेचा।

जानकारी के लिए बता दे परसामिलक थाना क्षेत्र में स्थित खाद की दुकानों से हो रही कालाबाजारी और नेपाल को हो रही कारबोरी खाद पर अंकुर लालों के लिये बीते सोमवार की देर रात उपजिलाधिकारी नौतनवा पहुंच खाद की दुकान पर जहा खाद की दुकान पर जहा खाद की दुकान पर जहा खाद प्रति बोरी (45 के जे) पर दुकानदार द्वारा ?350 रुपया बस्ता जाता है जिसका उचित मूल्य ?266 प्रति बोरी है। साथ ही दुकानदार ने यह भी बताया कि जो स्मारक है, तस्कर है उनको मेरे द्वारा ?360 में यूरिया खाद दिया जाता है और किसानों को ?350 में दिया जाता है। इस दौरान एसडीएम



उपजिलाधिकारी नौतनवा प्रमोद कुमार ने अपनी गाड़ी दुकान से दुर्खाद कर पहुंचे जिगिना स्थित द्वेष्टर्स खाद की दुकान पर जहा एसडीएम ने दो बोरी यूरिया खाद स्वयं खरीदा इस दौरान दुकानदार रामानुज द्वारे ने एसडीएम से लिया 700 सो रुपये नगद जिसका बीड़ियों भी उपजिलाधिकारी ने बनवा रखा है। जांच में पाया गया कि यूरिया खाद प्रति बोरी (45 के जे) पर दुकानदार द्वारा ?350 रुपया बस्ता जाता है जिसका उचित मूल्य ?266 प्रति बोरी है। साथ ही दुकानदार ने यह भी बताया कि जो स्मारक है, तस्कर है उनको मेरे द्वारा ?360 में यूरिया खाद दिया जाता है और किसानों को ?350 में दिया जाता है। इस दौरान एसडीएम

जीएसटी पर केंद्र और राज्यों में रा



कप्र जार राज्यों के बावजून सहमति बनाते हुए, उनके लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को एक कर में समाहित कर जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी लागू होने के बाद से ही इस कर से होनेवाले संपूर्ण राजस्व के दो बारबर हिस्से होते हैं, जिसमें एक हिस्सा केंद्र और दूसरा राज्यों के पास जाता है।

राज्य जाइलो लागू हानि का
विरोध कर रहे थे।
ऐसे में तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण
जेटली ने एक फॉर्मला लागू किया।
जिसके अनुसार, राज्यों को करों
से जो आमदनी होती है, उसके
आधार पर न केवल जीएसटी में
राज्यों के हिस्से को सुनिश्चित
किया जायेगा, बल्कि उनमें
प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि की

भी गारंटी होगी. ऐसी व्यवस्था पांच वर्ष तक चलेगी. केंद्र सरकार का मानना था कि जीएसटी एक महत्वपूर्ण कर सुधार है।

आर इस्सन न कवल
कर एकत्रीकरण में कुशलता
बढ़ेगी, बल्कि करों की चारी भी
रुकेगी। करों के कारण बिना
वजह कीमत बढ़ने (कासकेडिंग
इफेक्ट) जैसी स्थिति भी समाप्त
होगी। यानी, कर राजस्व बढ़ने के
साथ ही वस्तुओं की कीमतें भी
घटेंगी। हालांकि जीएसटी को
व्यवस्थित होते हुए थोड़ा समय
लगा। सरकार की अपेक्षा थी कि
जीएसटी से हर महीने कुल प्राप्ति
कम से कम एक लाख करोड़
रुपये होगी, जबकि दिसंबर
2019 तक यानी जीएसटी के
30 महीनों में सिर्फ नौ महीनों में
ही एक लाख करोड़ या उससे
ज्यादा की जीएसटी प्राप्त हुई। इस
वजह से खासतौर पर वर्ष 2019
में, राज्यों की भरपाई के कारण
केंद्र पर बोझ बढ़ गया। जीएसटी

पर एक 'सेस' लगाकर केंद्र ने राज्यों के नुकसान की भरपाई का निश्चय किया। वर्ष 2017-18 में यह भरपाई 41,146 करोड़ और 2018-19 में 69,275 करोड़ रही। वर्ष 2019-20 में हालांकि जीएसटी की ओसतन प्रासियां लगभग एक लाख करोड़ रहीं, लेकिन राज्यों के राजस्व की भरपाई की अपेक्षा पिछले साल से भी ज्यादा हो गयी। पिछले वर्ष का बकाया अभी बाकी ही था कि नये वित्त वर्ष 2020-21 के पहले ही माह से जीएसटी प्रासियां कोविड-19 महामारी के चलते नीचे जाने लगीं। अप्रैल में जीएसटी की कुल प्राप्ति 32,172 करोड़, मई में 62,152 करोड़, जून में 90,917 करोड़, जुलाई में 87,422 करोड़, अगस्त में 86,449 करोड़ और सितंबर में 95,480 करोड़ रुपये रही। लेकिन केंद्र के वचन के अनुसार, राजस्व के नुकसान के बावजूद केंद्र पर राज्यों की भरपाई करने का दायित्व बना हुआ है।

चूंकि केंद्र के पास भी राजस्व घटा है, ऐसे में वह भरपाई करने में स्वयं को असमर्थ पा रही है। इन्हीं परिस्थितियों में इसी 12 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न हुई, लेकिन इसका मतैक्य के साथ समाधान नहीं हो सका। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में 2.35 लाख करोड़ के राजस्व की कमी रहेगी। केंद्र ने राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस कमी को पूरा करने के लिए उधार लेना शुरू करें, लेकिन सभी राज्यों में इस बाबत सहमति नहीं बन पायी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को दो विकल्प दिये हैं। एक, राज्य राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए 1.1 लाख करोड़ का उधार लेंगे और उसके मूल और ब्याज दोनों की अदायगी भविष्य में विलासिता वस्तुओं एवं अवगुण वाली वस्तुओं पर लगाये जानेवाले क्षतिपूर्ति 'सेस' से की जायेगी। दूसरा, राज्य पूरे का पूरा नुकसान 2.35 लाख करोड़ का उधार

लेंगे। लेकिन उस परिस्थिति में मूल की अदायगी क्षतिपूर्ति 'सेस' से की जायेगी, लेकिन ब्याज के बढ़े हिस्से की अदायगी उन्हें स्वयं करनी होगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अधिकांश राज्य उधार लेने की प्रक्रिया आरंभ करने को तैयार है। केंद्र सरकार का कहना है कि यदि कोई राज्य उधार की प्रक्रिया शुरू करना चाहे तो न ही केंद्र सरकार और न ही जीएसटी कार्डिसिल उसे रोक सकती है। जीएसटी कार्डिसिल की माने तो जिन 21 राज्यों में भाजपा अथवा उनके गठबंधन की सरकरें हैं, वे 1.1 लाख करोड़ के ऋण विकल्प को स्वीकार करने को तैयार हैं। जबकि शेष 10 राज्यों ने इसे खारिज कर दिया है। इन 10 राज्यों के वित्त मंत्रियों का तर्क है कि इस प्रकार से उधार का विकल्प गैरकानूनी है, क्योंकि इससे राजस्व की भरपाई पांच वर्ष से आगे खिसक जायेगी, जो जीएसटी एक्ट के खिलाफ है। वर्तमान में जब सभी प्रकार के राजस्व कम हो रहे हैं और केंद्र सरकार का राजस्व भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, ऐसे में केंद्र से यह उम्मीद करना कि राज्यों के राजस्व की क्षतिपूर्ति तुरंत हो सकेगी, सही नहीं होगा। पूर्व में भी राज्यों के जीएसटी के हिस्से की क्षतिपूर्ति 'सेस' के माध्यम से ही होती रही है। इस बार भी ऐसा करने में राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती असहमति के बीच, केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है, जिसके अनुसार राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपये का बिना ब्याज का 50 वर्षीय ऋण उपलब्ध कराया गया है। जिसका उपयोग वे अपने राज्यों में पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्पन्न स्थितियों का सभी को मिलकर सामना करना होगा।

सम्पादकाय चिंताजनक शहरी बाढ़



सकट अभा टला नहा ह. इसम काइ दा राय नहा ह कि बहुत आधक बारिश की वजह से बाढ़ की समस्या पैदा हुई है, लेकिन यह एक कारण ही है। हैदराबाद हो या फिर ऐसी औचक बाढ़ से त्रस्त होनेवाले दूसरे शहर हों, इस परेशानी की असली वजह शहरी प्रबंधन की लचर व्यवस्था है। मुंबई, बंगलुरु और गुरुग्राम की हालिया बाढ़ों या कुछ साल पहले पानी में डूबे चेन्नई और पटना की तस्वीरों को याद करें, हर जगह जल-जमाव के एक जैसे कारण ही सामने आते हैं। अंधाधुंध और लापरवाह शहरीकरण तथा नगर निगमों एवं सरकारों के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के चलते सामान्य से अधिक बरसात से जन-जीवन ठप पड़ जाता है। शासन और लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि बारिश थमे और धीरे-धीरे पानी निकल जाए। यह चुनौती कितनी गंभीर है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि समुद्र तल से पर्यास ऊंचाई और पहाड़ी क्षेत्र में बसे श्रीनगर में भी कुछ वर्ष पूर्व जल-प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। जानकार इस बात पर एकमत है कि स्थानीय निकायों के भ्रष्टाचार और निष्क्रियता के कारण कचरे का निबटारा ठीक से नहीं हो पाता है। चारों तरफ बिखरा कूड़ा बीमारियों और प्रदूषण का कारण तो बनता ही है, नालियों में जमा होकर यह पानी की निकासी को भी आधित करता है। ऐसे में बारिश का पानी सड़कों और गलियों में जमा हो जाता है और फिर घरों में घुसता है। हमारे देश में बरसों से नगरीकरण को लेकर चर्चा होती रहती है। सरकारें बड़े-बड़े दावे करती हैं और परियोजनाओं की घोषणा होती है। लेकिन, इन्हें साकार करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं होते। इसे मुंबई और गुरुग्राम के उदाहरणों से समझा जा सकता है। मुंबई एक बहुत पुराना शहर है, किंतु गुरुग्राम को बसे कुछ दशक ही हुए हैं। इसके बावजूद देश की राजधानी से सटे इस नये शहर की परियोजनाओं को ठीक से तैयार नहीं किया है और मुंबई जैसे शहरों के अनुभवों का भी समुचित सज्जान नहीं लिया गया है। परिणाम यह है कि हर साल मुंबई भी डूबती है और गुरुग्राम में भी पानी भर जाता है। निकासी की व्यवस्था में समुचित निवेश न होना भी एक प्रमुख कारक है। सरकारें या शहरी विकास से जुड़े विभाग जितना ध्यान सड़कों, पुलों और भवनों की गुणवत्ता एवं डिजाइन पर देते हैं, उसकी तुलना में निकासी को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं होती। उन्हें बदलने और बनाने का काम भी प्राथमिकता में नहीं होता है। शहरी विस्तार ने प्राकृतिक जल निकायों को अतिक्रमण का शिकार बनाया है। इसका एक परिणाम भूजल के स्तर में बड़ी कमी भी है। यदि शासन-प्रशासन अब भी नहीं चेते, तो भविष्य में यह समस्या और भी गहन हो जायेगी। इस संबंध में ठोस नीतिगत पहल होनी चाहिए। और शहरी विकास के लिए समुचित निवेश जुटाया जाना चाहिए।

रोमन साम्राज्य को चार क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। सदी भर की स्थिरता के बाद बंटवारे, महत्वाकांक्षा और लालच के चलते इस व्यवस्था का पतन हो गया। कभी भारतीय लोकतंत्र के चारों स्तंभ अपनी विश्वसनीयता के लिए बाह्य खतरों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करते थे, पर आज हर संस्थान आत्मघाती रास्ते पर है। कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाइएस जगन मोहन रेड़ी ने सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एनवी रमना की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े को पत्र लिख कर सीजेआई से न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। आधुनिक न्यायालय ने उन राजनेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश देते हुए कहा कि सर्वैधानिक तौर पर अहम पदों पर बैठे लोगों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाया है। अटॉर्नी जनरल न्यायिक फैसलों को प्रभावित करनेवाले मीडिया द्वायल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग कर रहे गया है। टीवी चैनल अपस-गलाकाट में लगे हैं। बॉलीवुड अभिनेताओं पर मादक पदार्थों वाले तस्करी का आरोप लगा कर मीडिया लोगों को आकर्षित करना चाहता है। एंकरों ने उड़े राष्ट्रवाले और राष्ट्रविरोधी धंडों में बांट दिया है। अब प्रमुख फिल्मी संस्थाओं और कलाकारों ने अदालत से टीवी चैनलों और एंकरों पर लगाम लगाने की अपील की है। कुल मिलाकर संस्थानों ने निरर्तक के साथ अपनी प्रतिष्ठा की रक्षण की है। आपातकाल के दौरान जाइदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता को नष्ट करने के कोशिश की, तो विरोध में तीन जजों ने इस्तीफा दे दिया। जब कुल साल बाद राजीव गांधी के सरकार ने कानून बना कर मीडिया को नियंत्रित करने के कोशिश की, तब मीडिया संस्थानों के मालिकों और संपादकों ने एकजुट विरोध किया और राजीव गांधी को पीछे हटाना पड़ा। पचास के दशक में जब प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में आयी, तो उनके दामाद फिरोज गांधी ने प्रेस की आजादी की पुरजोर बकाल

के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के साथ विदेश जानेवाले पत्रकारों की सूची तैयार की, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अनुचित दखल के लिए डांटा था। जब मनमोहन सिंह ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की, तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने जहाज में मुफ्त में पत्रकारों को विदेश दौरे पर ले जाने के विशेषाधिकार को खत्म कर दिया। बड़ी कमाई के पद हासिल करने के लिए पत्रकारों के लिए शक्तिशाली लोगों तक पहुंच ही योग्यता है। इस तरह से अचानक कोई मालिक मालदार बन जाता है। कटेंट की जगह कनेक्टिविटी ने ले ली है। बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री और नौकरशाह खुद ही सवाल चुनते हैं और उन्हें पूछनेवाले पत्रकारों को भी। नेताओं द्वारा ट्रिवटर पर फैलो किये जाने को दिखाकर पत्रकार अपनी पहुंच को झिंगित करते हैं। न्यायपालिका की दशा भी ऐसी ही है। नियुक्ति के लिए न्यायाधीश बड़े नेताओं के साथ और केंद्रीय कानून मंत्री के साथ

ऐसी रुकावटें हैं, जो बड़े पैमाने पर 'अवाञ्छित' उम्मीदवारों को रोकती हैं। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति और स्थानांतरण का पूर्ण अधिकार अपने हाथ में ले लिया। तब से इसकी प्रतिष्ठा में गिरावट आयी है और भाई-भतीजावाद तथा राजनीतिक प्रभाव का आरोप लगा है। दुर्भाग्य से जजों ने ही एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। यह तब शुरू हुआ, जब चार जजों ने प्रेस वार्ता कर न्यायपालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया। विडंबना है कि उनमें से कुछ ने बाद में उसी मॉडल को अपनाया। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में न्यायिक फैसलों पर सवाल नहीं उठे थे। सेवानिवृत्ति के बाद लालच ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमज़ोर कर दिया है। इसकी परंपरा कांग्रेस ने एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश को राज्यसभा भेजकर डाली थी। इसके बाद पद हासिल करने की होड़ शुरू हो गयी। न्यायपालिका द्वारा सारे ट्रिब्यूनलों की स्थापना के गलत असर का आकलन नहीं

न्यायपालिका में ही गिरावट नहीं आयी है, बल्कि चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल संरक्षण पैनल, अल्पसंख्यक आयोग, सांस्कृतिक व शैक्षणिक निकाय और खेल संस्थाएं भी गिरावट की ओर उम्मुख हैं। वे सामूहिकता के बजाय व्यक्तिगत के लिए लड़ते हैं। सांस्कृतिक मंच जाति और संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की विविधता के संरक्षण के लिए गठित इन संस्थानों ने हद दर्जे का तुष्टिकरण करना शुरू कर दिया। यूजीसी और राज्य शैक्षणिक बोर्ड ने देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को नुकसान पहुंचाया है। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए है। वर्षों से इसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती रही। टीएन शेषन द्वारा प्रभावशाली संवैधानिक शक्तियों के उपयोग के बाद चुनाव आयोग को पदावनत किया गया। कांग्रेस ने इसे तीन सदस्यीय पैनल में बदल दिया और इसका असर भी द्जेला। बाद में पार्टी ने सरकार में आयुक्तों को पुरस्कृत करना शुरू किया। सूचना आयोगों का गठन पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अधिकारियों के चयन से पारदर्शिता प्रभावित हुई है। सभी पदों पर नियुक्ति सेवानिवृत्त सिविल सेवकों, पत्रकारों और मत निर्माताओं की होती है। संस्थागत ह्वास का दोष उन लोगों पर है, जिनके ऊपर नेतृत्व का जिम्मा है। कुछ लोगों का मानना है कि संस्थाओं के आपदा पूर्ण पतन के लिए जिम्मेदार मौजूदा नेतृत्व है। इसमें संदेह नहीं कि हर नेता बांटों और राज करों की नीति से अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। अगर अज्ञात शैतान का डर रीढ़विहीन खुशामदों को झुकाता है, तो यह समस्या उन रेंगनेवालों की है। भारतीय संस्थागत ढांचे की विश्वसनीयता तभी बहल की जा सकती है, जब सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी, जज और पत्रकार सरकारी पदों और समर्थन से मुक्त हों। दुर्भाग्य से, भारत उस चरण से गुजर रहा है, जहां व्यक्तिगत लाभ के लिए संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

टक्राव संस्थान का नुकसान

और पीड़ीपी अध्यक्ष महबूबा मुर्फत की नजरबंदी से रिहाई के अगले दिन 15 अक्टूबर को नेशनल कॉम्प्रेस के अध्यक्ष पारूक अब्दुल्लाह के आवास पर आमंत्रित गुपका घोषणा के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले राजनीतिक दलों के बैठक हुई। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं ने 4 अगस्त 2019 के तैयार किए गए गुपकार घोषणा प्रस्ताव पर अपनी प्रतिबद्धता दुहराई। 4 अगस्त को आयोजित बैठक में उपस्थित आठ राजनीतिक दलों के नेताओं ने सर्वसम्मति से संविधान की धारा 370 और 35-ए द्वारा संरक्षित जम्मू-कश्मीर का पहचान, स्वायत्तता और उसके विशेष दर्जे को पुनर्जीवित करने वे लिए मिलकर प्रयास करने वे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। गुपका घोषणा पर नेशनल कॉम्प्रेस पीड़ीपी, पीपुल्स कान्फ्रेंस, पीपुल्स युनाइटेड प्रट, अबामी नेशनल कान्फ्रेंस, और पैथर्स पार्टी के इछरु क्षेत्रीय दलों के अलावा कांग्रेस और सीपीआई-मार्क्सवादी इन दो राष्ट्रीय दलों के जम्मू-कश्मीर इकाई के नेताओं ने हस्ताक्षर किए। भारतीय संसद द्वारा संविधान की धारा- 370 और 35-ए समाप्त करने एवं जम्मू-कश्मीर के केन्द्र

लद्दाख में विभाजन के विरोध में इन दलों की 22 अगस्त 2019 को आयोजित बैठक में फ्रि से गुपकार घोषणा पर प्रतिबद्धता को दुहराया गया। उसके बाद तो न केवल पाकिस्तान समर्थक जनमत संग्रह की मांग करने वाले बल्कि जम्मू-कश्मीर के अधिकांश राजनीतिक दलों के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। चालू साल में सरकार ने महबूबा मुफ्ती के अलावा जम्मू-कश्मीर के लगभग सभी नेताओं को नजरबंदी से रिहा कर दिया था।

22 अगस्त 2020 को फरूख अब्दुल्ला की अध्यक्षता में आयोजित गुपकार घोषणा का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों ने पुनर्जुम्मू-कश्मीर की पहचान, स्वायत्ता और उसके विशेष दर्जे के संरक्षण हेतु सविधान की धारा-370 और 35-ए को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव की वचनबद्धता दुहराई। आम भारतीयों के दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि इसका गुपचार घोषणा नामकरण किए जाने का क्या कारण हो सकता है। दरअसल उक्त बैठक नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष फरूख अब्दुल्ला के गुपकार रोड पर स्थित उनके आवास पर आयोजित की गई थी।

युपकार घोषणा किया गया। कश्मीर घाटी में मुख्य राजनीतिक धारा के दल नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी दो ही रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव से पूर्व तक कश्मीर घाटी के मतदाताओं के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों की लोकप्रियता मोटे रूप में इस प्रकार थी, नेशनल कान्फ्रेंस 30 से 35 प्रतिशत, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी 20 से 25 प्रतिशत, कांग्रेस 10 से 15 प्रतिशत, भाजपा 4 से 7 प्रतिशत, धारा 370 के कायम रखने के समर्थक छोटे क्षेत्रीय दल 5 से 10 प्रतिशत, पाकिस्तान और जनपत संग्रह समर्थक क्षेत्रीय दल 6 से 10 एवं अन्य राष्ट्रीय दल 3 से 5 प्रतिशत। यद्यपि नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी दोनों दल धारा 370 समर्थक दल माने जाते रहे हैं किंतु पिछले कुछ वर्षों से पीडीपी का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा था। जबकि नेशनल कान्फ्रेंस को भारत समर्थक दल माना जाता रहा है। उसकी कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार रही है। उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी भारत के एक कांग्रेसी की पुत्री रही हैं तथा उनकी बहन का विवाह कांग्रेसी नेता सचिन पायलट के साथ होने से अब्दुल्ला

भारत की ओर स्वाभाविक रूप में रहा है। सितंबर 2014 में आई भीषण बाढ़ में प्रभावित लोगों तक सही ढंग से राहत सामान नहीं पहुंचने से उपजे असंतोष के कारण नेशनल कान्फ्रेस को मात्र 17 सीटें ही प्राप्त हो सकी थीं जबकि पीड़ीपी को आश्वर्यजनक ढंग से 28 सीटें मिलीं। जम्मू के मतदाताओं के भारी समर्थन से भाजपा को पहली बार 25 सीटें मिलीं। काफी दिनों बाद महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्रित्व में पीड़ीपी व भाजपा के बेमेल गठबंधन सरकार बनी।

भाजपा की सोच थी कि गठबंधन के साथ होने के कारण अपनी विचारधारा के नजदीक ले आएंगे जबकि महबूबा मुफ्ती भाजपा को धारा 370 एवं 35-ए समर्थक बनाना चाहती थी। यह बेमेल गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। उमर अब्दुल्ला ने अल्पमत सरकार बनाने से इंकार कर दिया। अंततः जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लोकसभा में दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने के मात्र 2 माह के अन्दर धारा 370 एवं 35-ए के हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर से

राज्य बनाने का विधेयक पारित करवा लिया। इसके बाद धीरे-धीरे धारा-370 के समर्थक दलों के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने दो दिन पूर्व एक साक्षात्कार में गुपकार घोषणा के समर्थक दलों द्वारा सविधान की धारा-370 और 35-ए को पुनर्जीवित करने की प्रतिबद्ध प्रयासों के संबंध में पूछे गए एक सवाल के उत्तर में ढूँढ़ा से कहा कि इन धाराओं की वापसी की कोई संभावना नहीं है। यह तो सही है कि जब तक केन्द्र में भाजपा का शासन है जम्मू-कश्मीर के एकीकरण करके विशेष दर्जा प्राप्त राज्य बनने की कोई संभावना नहीं है। यदि धारा-370 एवं 35-ए को पुनर्जीवित करने के लिए फरूख अब्दुल्ला की अगुवाई में गुपकार घोषणा करने के लिए बैठक नहीं की गई होती और ये सभी नेता देखो और इंतजार करने की नीति अपनाते तो संभवतरु केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर में शीघ्र चुनाव करवाने के बारे में निर्णय ले लेती। उस स्थिति में नेशनल कांफ्रेंस की अगुवाई में आठ दलों के गठबंधन की विधानसभा चुनाव में बड़े आराम से दो तिहाई सीटें जीत की

